स0स0–1 / विविध–12 / 2019– 535 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 20/03/2025

विषयः– **राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, झंझारपुर (मधुबनी) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु० 554.11 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु० 515,00,00,000/–(रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र के आधार पर स्कीम (योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" के अंतर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में कुल रु0 20,00,00,000/–(रुपये बीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक राज्यादेश सं0–302(1) दिनांक–07 03.2019 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, झझारपुर (मधुबनी) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु० 554 11 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 मे कुल रु० 515,00,00,000/–(रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। इस केन्द्र प्रायोजित योजना अतर्गत केन्द्राश मद मे आवंटित कुल राशि रु० 150 00 करोड एव समानुपातिक राज्यांश भद की रु० 100.00 करोड अर्थात् कुल रु० 250.00 करोड व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष प्राक्कलित राशि के व्यय का वहन सबधित राज्याश/राज्य योजना मद से Top up Fund के रूप मे किया जाना है।

2– अबतक इस योजना अन्तर्गत निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को उपलब्ध करायी गयी केन्द्राश/राज्यांश मद के राशि का विवरणी निम्नवत् है–

क्र०सं०	विभागीय राज्यादेश सं०	केन्द्राश	राज्याश
1	स०–1047(1), दिनाक–09 12 2020	50,25,00,000	6,93,24,500
2	स०–56(7), दिनाक–03 08 2021	10,00,00,000	6,66,66,600
3	स०–334(7), दिनाक–28 11 2023	89,75,00,000	75,00,00,000
4	स०–457(7), दिनाक–30 01 2024		11,40,00,000
	कुल आंवटित राशि	**1,50,00,00,000**	**99,99,91,100**

3–राज्य योजना मद से अबतक निगम को आंवटित की गयी राशि की विवरणी निम्नवत है–

क्र०सं०	विभागीय आवटनादेश सं०	आवटित राशि
1	स0 600(7) दिनाक–29 03 2023	1,15,00,00,000
2	स0 602(7) दिनाक– 30 03 2023	35,00,00,000
3	स0 201(7) दिनाक–28 08 2023	45,00,00,000
4	स0 642(7) दिनाक–14 03 2024	15,00,00,000
	कुल आंवटित राशि	**2,10,00,00,000**

4– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक– F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, Date 08.08 2024 द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कुल 700.00 करोड के स्कीमो की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत कुल राशि मे से वर्णित स्कीम हेतु रू० 20 00 करोड कि राशि स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत कुल राशि (700.00 करोड) के अंतर्गत पुन भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्रांक– F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)- SACE-48, Dated: 20.01.2025 एवं वित्त विभाग के पत्राक–55/वि०, दिनांक–21.01.2025 के द्वारा "Under Part-I" के तहत द्वितीय किस्त के रूप मे स्वास्थ्य विभाग को रू० 238 00 करोड मात्र की राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई है। विदित हो कि वित्त विभाग के पत्र सख्या– 481/वि०, दिनांक–09 08 2024 के आलोक Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25"Under part-I के तहत प्रथम किस्त के रूप मे विभिन्न स्वीकृत स्कीम अतर्गत कुल रू० 462 00 करोड व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

5— अतएव उक्त के आलोक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, झझारपुर (मधुबनी) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु० 554.11 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018—19 में कुंल रु० 515,00,00,000/—(रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र के आधार पर स्कीम (योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2024—25 मे भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" के अंतर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में कुल रु0 20,00,00,000/—(रुपये बीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6—उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं0—302(1), दिनांक—07.03.2019 में निहित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

7—यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17 04 98, 2880/वि0(2), दिनांक—06 05.06, 2938/वि0(2), दिनांक—08 04.08, 3758/वि0, दिनांक—31.05 2017 एव 12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8—राज्य योजना मद से Top up Fund के रूप मे इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप—शीर्ष—0101—मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड—20—4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में **तृतीय अनूपूरक आगणन** से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9— इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

10— वित्त विभागीय पत्र सख्या—632/वि० दिनाक—04 07 2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या—10792/वि०, दिनाक—06.12 2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" के लिए पूजीगत परियोजनाओ से संबधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबंधित बैक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID---------- मे जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा—निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

11—वित्त विभागीय पत्रांक—432/वि०, दिनाक—29.03 2023 एवं पत्रांक—55/वि०, दिनाक—21.01 2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

12— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13—राशि के निकासी के प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14— प्रारूप में आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सख्या—1/विविध—12/2019 के पृष्ठ—45/टि0 पर प्राप्त है।

15—यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—1/विविध—12/2019— 535 (7) स्वा0, पटना, दिनांक— 20/03/2025

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी /असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/प्राचार्य एव अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, झंझारपुर (मधुबनी) को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— मा0 मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।